

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 1, रविवार, शाके 1942- नवम्बर 22, 2020

Agrahayana 1, Sunday, Saka 1942-November 22, 2020

भाग 4 (ग) उप—खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

> गृह (ग्रुप-5) विभाग अधिसूचना जयपुर, नवम्बर 22, 2020

एस.ओ. 413 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्याक 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. 302 दिनांक 27.07.2020 में निम्नान्सार संशोधन करती है:-

संशोधन

इस विनियम में उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्तमान में क्रम संख्या 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है -

"

1.	कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में	500/-
	फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढ़का हो) नहीं	
	पहने हुए हो।	

..

[क्रमांक प. 9(16)गृह-5/2020] राज्यपाल के आदेश से, रामनिवास मेहता, संयुक्त शासन सचिव।

Home (Gr - V) Department Notification

Jaipur, November 22, 2020

S.O. 413:-In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 2020 (Act No. 21 of 2020), the State Government hereby makes the following amendment in this department's even number notification dated 27.07.2020, published in Gazette vide S.O. 302 dated 27.07.2020, namely:

AMENDMENT

In schedule of the said notifications, the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

भाग 4 (ग

..

1.	Any person not wear face mask or face cover (nose and mouth covered properly) in also public transport such as Auto, Cab, Rickshaw, Bus, Train etc.	500
	Auto, Cao, Kickshaw, Dus, 11am etc.	

[No. F-9(16) Home-5/2020]
By order of the Governor,
Ram Niwas Mehta,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.